क्रम-संख्या---242

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०---4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०---41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग---1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 4 अप्रैल, 1985

चैत्र 14, 1907 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 531/सत्रह-वि-1--1(क)-2-1985

लखनऊ, 4 अप्रैल, 1985

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1985 पर दिनांक 3 अप्रैल, 1985 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1985 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 1985

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1985]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 22 दिसम्बर, 1984 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 19 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 19 में, उपधारा (3) में,---

(क) खण्ड (9) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्---

"(9) मण्डी क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों, भारवाही पशुओं, लद्दू पशुओं और वाहनों के लिए आश्रय स्थल, शेड, गाड़ी खड़ी करने की जगह और जल जैसी सुविधाओं और सुख-साधन की व्यवस्था करने पर और मण्डी क्षेत्र में कृषि सुधार और कृषि विपणन के विकास पर जिसके अन्तर्गत सम्पर्क सड़क, पुलिया, पुल का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत और अन्य ऐसे प्रयोजन भी हैं, व्यय;"

(ख) प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्---

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अधीन अतिरिक्त मण्डी शुल्क के रूप में वसूल की गयी समस्त धनराशि का उपयोग मण्डी क्षेत्र में केवल खण्ड (9) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जायगा ।"

निरसन और अपवाद

3---(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
राजेश्वर सिंह,
विशेष सचिव ।

No. 531(2)/XVII-V-1—1 (KA)-2-1985

Dated Lucknow, April 4, 1985

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is Pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1985 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 1985) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 3, 1985 :

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (AMENDMENT) ACT, 1985

[U. P. ACT NO. 12 OF 1985]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Amendment) Act, 1985.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 22, 1984.

Amendment of section 19 of U. P. Act no. XXV of 1964.

2. In section 19 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (3)—

(*a*) *for* clause (ix) the following clause shall be *substituted*, namely—

"(ix) expenses in providing facilities and comforts such as shelter, shed, parking accommodation and water for persons, draught

cattle, pack animals and vehicles coming to the Market Area and on agricultural improvement and development of agricultural marketing in the Market Area including the construction, maintenance and repair of link roads, culverts, bridges and other such purposes ;"

(b) *after* the proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely :

U. P. Ordinance no. 40 of 1983.

"Provided further that all moneys realised as additional market fee under the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Amendment) Ordinance, 1983 shall be utilised in the Market Area only for the purposes specified in clause (ix)."

U. P. Ordinance no. 25 of 1984.

Repeal and savings.

3. (1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Second Amendment) Ordinance, 1984, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
RAJESHWAR SINGH,
Vishesh Sachiv.

पी0 एस0 यू0 पी0--ए0 पी0 2 सा0 (विधा0)--(81)--1985--750 (मेके0)।